न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 3/2017 (अवमानना प्रार्थना पत्र)

आनन्दीलाल पिता भंवरलाल जी मेहता (महाजन), निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... प्रार्थी/याची

बनाम

1. श्रीमती कमलाबाई पत्नी गोरधनलाल जी जाट, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती पारसबाई पत्नी कैला''ाचन्द्र जी जाट, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बद्रीलाल पिता मोहनलाल जी जाट, निवासी लाठियाखेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. उप पंजीयक रेलमगरा/गिलुण्ड भंवरलाल जी चौपड़ा

..... विपक्षीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे''ा 39
नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा/अक्षय पालीवाल
अभिभाशक प्रार्थी

2– श्री चावण्डसिंह भाक्तावत अभिभाषक
विपक्षीगण

———::———

निर्णय दिनांक

29–08–2019

यह अवमानना याचिका प्रार्थी/याची द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा प्रकरण में विपक्षीगण

के विरूद्ध स्थगन जारी कर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने के आदे"ा दिये गये थे, जिसकी जानकारी विपक्षीगण को होने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा नुमाई"ाी विकय विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया है तथा विपक्षी संख्या 4 ने पैसों की लालच में उक्त नुमाई"ाी विकय का पंजीयन कर दिया है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही करते हुए सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एवं उनकी सम्पत्ति कुर्क की जावे।

उक्त आवेदन का विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा वि"ोश जवाब में कथन किया कि विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन प्रचलित नहीं था, क्योंकि वे प्रकरण में पक्षकार ही नहीं थे। अतः आवेदन खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24–01–2017 को उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के निर्णय दिनांक 19–01–2017 में वर्णित निर्णय की दिनांक 10–02–2017 तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदे"ा दिये गये थे, जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के पक्ष में जो रजिस्टर्ड विकय किया गया है वह दिनांक 23–01–2017 का है अर्थात स्थगन जारी होने से पूर्व का है। तद्नुसार विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अवमानना का प्रकरण साबित नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/याची द्वारा पेश अवमानना याचिका प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर